

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र कनौजिया,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

लेखा से,

शिला निर्देशक बृहोत्  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शिला उत्तर प्रदेश-६

लखनऊ : दिनांक: १ अक्टूबर, 2005

विषय: शिला एकेडेमी दौरा लाला, समोलो रोड मेरठ को नर्सरो से कड़ा-८ तक  
बृहोत् उत्तर प्रदेश स्तरीय अधिकारी माध्यम से "अ" श्रेणी को स्थायी मान्यता  
प्रदान किये जाने के तम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र तंख्या: बै०उत्त०/डौ०८०/९०५/२००४-०५

दिनांक 25-10-2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा  
सभ्यक विधारोपरान्त शिला एकेडेमी दौरा लाला, समोलो रोड, मेरठ को नर्सरो से  
कड़ा-८ तक बृहोत् उत्तरीय अधिकारी माध्यम से "अ" श्रेणी को स्थायी मान्यता  
शासनादेश तंख्या-2926/15-६-९५-१८/२०/९। दिनांक 14 दिसम्बर, 1995 में  
निर्दित मानकों/शर्तों के अधीन प्रदान को जाती है। कृपया तदनुतार कार्यवाही  
मुनिशिष्ठ करने का कठोर करें।

विवरणीय,

१. दिनेश चन्द्र कनौजिया

विशेष सचिव।

पृष्ठांकन सम्बन्धित ११ तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए ब्रेचित:-  
 १. सभ्यक, शिला एकेडेमी दौरा लाला, समोलो रोड, मेरठ।  
 २. कड़ालीय सहायक शिला निर्देशक, मेरठ मण्डल, मेरठ।  
 ३. सचिव, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, इलाहाबाद।  
 ४. निरोक्षक, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 58 बगता नारायण रोड लखनऊ।  
 ५. विला विधान विधायिकारो, मेरठ।  
 ६. गार्ड काली।

गार्ड का

१. दिनेश चन्द्र कनौजिया

विशेष सचिव।